न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 25/2015

सूरजकरण पुत्र बालूराम माली, निवासी किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर

.....अपीलान्ट

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ, जिला अजमेर
2. सचिव अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर .....रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री हंगामीलाल — अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर — राजकीय पेरोकार

आदेश **दिनांक :–06.10.2023**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम किशनगढ तहसील किशनगढ व जिला अजमेर के खसरा नम्बर 2417/1, रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा पर ईट भट्टा स्थापित करने हेतु राजस्थान भू राजस्व कृषि भूमि का अकृषि मे परिवर्तन नियम 1961 सपठित राजस्थान भू राजस्व ईट भट्टा की स्थापना हेतु भूमि का रूपान्तरण नियम 1987 के तहत जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष आवेदन पेश किया एवं अपनी उक्त खातेदारी भूमि को उक्त नियमों के तहत भूमि का समर्पण राज्य सरकार के पक्ष में किया, समर्पण पश्चात उक्त भूमि राज्य सरकार के नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 106 से बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गई तत्पश्चात जिला कलेक्टर द्वारा रूपान्तरण आदेश दिनांक 01.06.1988 पारित करते हुए उक्त आदेश की पालना में अपीलान्ट के हक में लीज डीड दिनांक 8 सितम्बर 1988 को निष्पादित कर दी, उक्त लीज डीड का अंकन अधिकार अभिलेख जमाबंदी में नहीं किया गया और राजस्व अभिलेख जमाबंदी में उक्त आराजी समर्पण के पश्चात बिलानाम सरकार अंकित रह गई, अपीलान्ट द्वारा 5 वर्ष की अवधि में ईट भट्टा बन्द कर दिया गया और राजस्व अधिकारियो को उक्त भूमि पुनः अपने नाम खातेदारी अंकन करते हेतु निवेदन कर दिया गया, राजस्व अधिकारियो द्वारा उक्त भूमि अपीलान्ट के नाम पुनः खातेदारी दर्ज नहीं की गई और बिलानाम रहने से जिला कलेक्टर के आदेश से उक्त आराजी अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम गलत रूप से दर्ज कर दी गई, उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं0 2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। पत्रावली वास्ते सुनवाई नियत की गई। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अपील बहस दौरान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अपनी खातेदारी भूमि वाके ग्राम किशनगढ तहसील किशनगढ व जिला अजमेर के खसरा नम्बर 2417/1, रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा पर ईट भट्टा स्थापित करने हेतु राजस्थान भू राजस्व कृषि भूमि का अकृषि मे परिवर्तन नियम 1961 सपठित राजस्थान भू राजस्व ईट भट्टा की स्थापना हेतु भूमि का रूपान्तरण नियम 1987 के तहत जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष आवेदन पेश किया एवं

जिला कलेक्टर
अजमेर

अपनी उक्त खातेदारी भूमि को उक्त नियमों के तहत भूमि का समर्पण राज्य सरकार के पक्ष में किया, समर्पण पश्चात उक्त भूमि राज्य सरकार के नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 106 से बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गई तत्पश्चात जिला कलेक्टर द्वारा रूपान्तरण आदेश दिनांक 01.06.1988 पारित करते हुए उक्त आदेश की पालना में अपीलान्ट के हक में लीज डीड दिनांक 8 सितम्बर 1988 को निष्पादित कर दी, उक्त लीज डीड का अंकन अधिकार अभिलेख जमाबंदी में नहीं किया गया और राजस्व अभिलेख जमाबंदी में उक्त आराजी समर्पण के पश्चात बिलानाम सरकार अंकित रह गई, अपीलान्ट द्वारा 5 वर्ष की अवधि में ईट भट्टा बन्द कर दिया गया और राजस्व अधिकारियो को उक्त भूमि पुनः अपने नाम खातेदारी अंकन करते हेतु निवेदन कर दिया गया, राजस्व अधिकारियो द्वारा उक्त भूमि अपीलान्ट के नाम पुनः खातेदारी दर्ज नहीं की गई और बिलानाम रहने से जिला कलेक्टर के आदेश से उक्त आराजी अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम गलत रूप से दर्ज कर दी गई, विवादित आराजी अपीलान्ट की खातेदारी भूमि है जो अपीलान्ट ने ईट भट्टा लगाने हेतु राज्य सरकार में समर्पित की और ईट भट्टा आवंटन नियमो के तहत उक्त खातेदारी भूमि समर्पण पश्चात रूपान्तरित एवं आवंटित की गई और नियमानुसार पांच वर्ष की अवधि हेतु लीज डीड निष्पादित की गई, अपीलांन्ट ने उक्त अवधी में ईट भट्टा चलाया और लीज अवधी में ईट भट्टे को बन्द कर उक्त भूमि पुनः अपने नाम उक्त नियमों के नियम 10 अनुसार पुनः खातेदारी दर्ज करने हेतु निवेदन किया परन्तु अभी तक अपीलान्ट के नाम उक्त भूमि खातेदारी दर्ज नहीं की गई और राजस्व अभिलेख में अपीलान्ट की उक्त खातेदारी भूमि समर्पण पश्चात बिलानाम सरकार दर्ज होकर उक्त लीज का राजस्व अभिलेख में अंकन नहीं होने से जिला कलेक्टर अजमेर के विवादित आदेश से उक्त भूमि को सिवायचक भूमि मानकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम दर्ज करने के आदेश दे दिये और उक्त आदेश की पालना में नामान्तकरण गलत रूप से दर्ज कर दिया गया। विवादित भूमि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि होकर अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि पर ईट भट्टा स्थापित करने हेतु अपनी खातेदारी भूमि होकर अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि पर ईट भट्टा स्थापित करने हेतु अपनी खातेदारी भूमि का समर्पण होने से लीज समाप्ति अवधि पर अपीलान्ट के निवेदन अनुसार ईट भट्टा आवंटन नियम के नियम 10 अनुसार उक्त भूमि पुनः अपीलान्ट के नाम खातेदारी दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है और उक्त भूमि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को देय नहीं है, उक्त समस्त अभिलेख एवं नियमों का परीक्षण किये बिना जिला कलेक्टर द्वारा आदेश पारित किया गया है और उक्त आदेश की पालना में गलत नामान्तकरण स्वीकृत किया गया जो अभिलेख एवं नियमों के विपरित होकर निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने अपनी उक्त समर्पित खातेदारी भूमि की लीज की शर्तो का पालना करते हुए ईट भट्टा बन्द कर राजस्व अधिकारियो को उक्त भूमि पुनः अपने नाम दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया और नियमानुसार उक्त भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज होने योग्य है। मियाद अवधि में छूट हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अतः अपील स्वीकार की जाकर ग्राम किशनगढ के खसरा नम्बर 2417/1 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा की सीमा तक स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1347 दिनांक 18.02.2014 तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने की आज्ञा प्रदान करते हुए अपीलान्ट के नाम खातेदारी अंकन दर्ज करावे ।

राजकीय पैरोकार सरकार ने बहस में निवेदन किया कि भूमि सिवायचक होकर अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर की भूमि हैं। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमावें।

सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम पर उभय पक्ष को सुना गया । अपीलांट द्वारा अपील के साथ सलग्न मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को दोहराते हुए उक्त प्रार्थना पत्र

जिला कलक्टर
अजमेर

को स्वीकार किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने का निवेदन किया गया। वकील रेस्पोडेन्ट ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने में कोई आपत्ति नहीं की गई। न्यायहित में प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया। रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजियात अपीलांट द्वारा विधिवत रूप से ईट भट्टा स्थापित करने हेतु राजस्थान भू राजस्व कृषि भूमि का अकृषि रूपान्तरण दिनांक 01.06.1988 को करवाया गया। तत्पश्चात अपीलांट द्वारा अपनी उक्त आराजियात को राज्य सरकार में समर्पण की गई जिसकी पालना में उक्त आराजियात नामान्तकरण संख्या 106 से सरकारी सिवायचक दर्ज कर दी अपीलांट द्वारा उक्त रूपान्तरण आदेश दिनांक 01.06.1988 को आज दिनांक तक सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी के समक्ष चुनौती प्रदान कर निरस्त नहीं करवाया गया है। तथा अपीलांट हाजा न्यायालय के समक्ष यह भी बताने में असमर्थ रहे कि अपीलांट के पक्ष में लीज डीड दिनांक 8 सितम्बर 1988 को निष्पादित का अंकन अपीलांट द्वारा राजस्व अभिलेख में क्यों नहीं करवाया गया है, तथा उक्त आराजियात सरकारी सिवायचक रहने के कारण सबंधित तहसीलदार किशनगढ द्वारा विधि अनुसार नामान्तकरण संख्या 1347 दिनांक 18.02.2014 को तस्दीक किया गया है तथा नामान्तरकरण एक फिक्सल प्रोसिडिंग है जिससे हकों का निर्धारण नहीं होता है। लिहाजा पूर्णरूपेण विधि अनुरूप पारित आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस, पर्याप्त आधार स्पष्ट नहीं होने से अपीलान्ट्स की अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.10.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर अजमेर